

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92स्पे./अलेसे-III/

दिनांक:- 15/3/2013

आदेश संख्या 311/2012-13

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट- 1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) वेतन श्रृंखला पी0बी0-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृत की जाती है :-

क्रं. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मेरिट संख्या / 92स्पे. बैच	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्याम लाल सांवरिया	7	23.01.1995	23.01.2013	
2.	अशोक कुमार अरोदिया	14	23.01.1995	23.01.2013	
3.	प्रताप सिंह	18	23.01.1995	23.01.2013	
4.	लक्ष्मीनारायण कोली	38	23.01.1995	23.01.2013	
5.	रामजी लाल बैरवा	39	23.01.1995	23.01.2013	
6.	श्रृवण कुमार मेघवाल	43	23.01.1995	23.01.2013	
7.	रोशन लाल नागरवाल	46	23.01.1995	23.01.2013	
8.	नेमीचन्द	50	23.01.1995	23.01.2013	
9.	शिवशंकर	56	23.01.1995	23.01.2013	
10.	विनोद कुमार	64	23.01.1995	23.01.2013	
11.	श्रीकिसन भीमवाल	72	23.01.1995	23.01.2013	
12.	दिनेश कुमार नारनोलिया	73	23.01.1995	23.01.2013	
13.	ओम प्रकाश रोहलन	85	23.01.1995	23.01.2013	
14.	महावीर सांक्थवाल	87	23.01.1995	23.01.2013	
15.	अनिल कुमार	95	23.01.1995	23.01.2013	
16.	रामावतार बैरवा	96	23.01.1995	23.01.2013	
17.	शिवशंकर भूपारिया	97	23.01.1995	23.01.2013	
18.	नेतराम रैगर	98	23.01.1995	23.01.2013	
19.	रामलाल सिंह मेव	101	23.01.1995	23.01.2013	
20.	श्याम लाल बुनकर	106	23.01.1995	23.01.2013	
21.	भंवर लाल तंवर	114	23.01.1995	23.01.2013	
22.	जयनारायण प्रकाश	116	23.01.1995	23.01.2013	
23.	हेतराम ढालिया	117	23.01.1995	23.01.2013	
24.	विजेन्द्र कुमार	122	23.01.1995	23.01.2013	
25.	महेन्द्र कुमार रमन	130	23.01.1995	23.01.2013	

26.	कन्हैया लाल	138	23.01.1995	23.01.2013	
27.	चेतराम वर्मा	145	23.01.1995	23.01.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम /2008 दिनांक 31-12-2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 8,9,17,19,20,23,24,25, एवं 27 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश प.14(88) वित्त/नियम/08 दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।



निदेशक

क्रमांक:- एफ 4 (ई) द्वितीय एसीपी 92स्पे./अलेसे-III/9253-9310 दिनांक:-15/3/2013
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)(गोपनीय शाखा)
5. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट में प्रकाशन हेतु)।
6. निजी/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)